न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 02 / 2018

1. श्री भागचन्द पुत्र स्व0 श्री बादरलाल उर्फ बहादुर कुमावत, जाति कुमावत, निवासी ग्राम श्रीनगर, हाल निवासी ग्राम सिलोरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर
2. श्री अमरचन्द पुत्र स्व0 श्री बादरलाल उर्फ बहादुर कुमावत, जाति कुमावत, निवासी ग्राम श्रीनगर, हाल निवासी कल्याण कुंज की गली, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर
3. श्री बींजालाल
4. श्री प्रेमचन्द

   पुत्रगण श्री स्व0 श्री बादरलाल उर्फ बहादुर कुमावत, जाति कुमावत
5. श्रीमति सरजू देवी पत्नि स्व0 श्री बादरलाल उर्फ बहादुर कुमावत, जाति कुमावत

   निवासीगण ग्राम श्रीनगर, हाल निवासी कमल किराणा एण्ड जनरल स्टोर के पीछे, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर
6. गीता देवी पुत्री स्व0 श्री बादरलाल उर्फ बहादुर कुमावत पत्नि श्री रंगलाल कुमावत, जाति कुमावत, निवासी दरगड़ धर्मशाला के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर
7. सुशीला देवी पुत्री स्व0 श्री बादरलाल उर्फ बहादुर कुमावत पत्नि श्री विष्णु कुमावत, जाति कुमावत, निवासी ग्राम अरांई, हाल निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर
8. इन्द्रा कुमावत पुत्री स्व0 श्री बादरलाल उर्फ बहादुर कुमावत पत्नि श्री राजू कुमावत, जाति कुमावत, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....*अपीलान्टस्*

बनाम

1. श्री रामधन पुत्र श्री मोहनलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम श्रीनगर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर
3. प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. शाखा श्रीनगर वर्तमान नया नाम एस.बी.आई. शाखा श्रीनगर, जिला अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–1. श्री योगेन्द्र कुमार कुमावत, वकील अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री नौरतमल जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

दिनांक—11.07.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के राजस्व ग्राम श्रीनगर स्थित आराजी वर्तमान खसरा संख्या 1416/8493 पुराना खसरा संख्या 871 रकबा 09—05—00 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 16.03.2007 से श्री रामधन पुत्र श्री मोहनलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम श्रीनगर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के पक्ष में तहसीलदार नसीराबाद द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्टस द्वारा तहसीलदार नसीराबाद के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 16.03.2007 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोडेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 जरिये वकील उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील बाद मियाद पेश की गई है। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील लगभग 11 वर्ष की अवधि के पश्चात दिनांक 05.01.2018 को भारी मियाद बाहर एवं बिना किसी आधार व अधिकार के प्रस्तुत की गई है तथा अपील में मियाद के सम्बन्ध में कोई सद्भाविक कारण नहीं दर्शाया गया है। विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी अपीलार्थीगण को जानकारी थी। रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलार्थीगण का कथन कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 16.03.2007 की स्वीकृति की जानकारी दिनांक 06.12.2017 को हुई, जानकारी होने के पश्चात भी अपील दिनांक 05.01.2018 को बाद मियाद अवधि प्रस्तुत की है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार 30 दिवस में अपील प्रस्तुत किये जाने तथा मियाद अधिनियम के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये था। अतः अपीलान्ट्स का मियाद प्रार्थना पत्र खारिज करने के साथ ही अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे। वकील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट्स ने हमारा ध्यान धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। आक्षेपीय नामान्तरकरण की जानकारी उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 06.12.2017 को हुई जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 07.12.2017 को प्राप्त कर नकल प्राप्ति से 30 दिवस में अपील प्रस्तुत कर दी गई है। विलम्ब अवधि को क्षमा करने हेतु अपीलान्ट्स द्वारा धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र संलग्न किया है, अतः जानकारी दिनांक से अपील को अन्दर मियाद मानकर मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करते हुए अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम श्रीनगर तहसील नसीराबाद का वर्तमान खसरा संख्या 1416/8493 पुराना 871 रकबा 09—05—00 बीघा अपीलान्ट्स के पिता/पति

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

को कब्जे काश्त के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 21.08.1969 से आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 2 ने अपर कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 4/96 तहसीलदार नसीराबाद बनाम बहादुर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसका दिनांक 07.06.1996 को आवंटी के पक्ष में निर्णय किया गया। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ने वादग्रस्त भूमि बाबत आदेश क्रमांक/2003/53 दिनांक 22.02.2003 से आवंटन/नियमन अपीलान्ट्स के पिता/पति के पक्ष में किया। रेस्पो0 संख्या 2 ने इसकी पालना करते हुए विधि अनुसार नामान्तरकरण संख्या 585 दिनांक 24.04.2003 अपीलान्ट्स के पिता/पति बादरलाल उर्फ बहादुर कुमावत पुत्र श्योकिशन कुमावत के पक्ष में स्वीकृत किया गया जिसका इन्द्राज वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में किया गया है तथा उक्त आवंटन आज भी प्रभावी है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि पर उक्त नामान्तरकरण पूर्व कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। नामान्तरकरण संख्या 585 दिनांक 24.03.2003 अपीलान्ट्स के पिता/पति के पक्ष में स्वीकृत किये जाने की रेस्पो0 संख्या 2 को पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी फर्जी कार्यवाही करते हुए बिना विधिक नोटिस/सूचना के नामान्तरकरण खारिज करने का अंकन किया गया जो विधि विरूद्ध है। अन्त में उन्होने कथन किया कि उक्त नामान्तरकरण आज भी पूर्णतया वैद्य एवं विधि मान्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 16.03.2007 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्टस का कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील में अंकित समस्त कथन झूठे एवं मनगढंत है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को हैरान व पेरशान करने की मंशा से पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पूर्ण जांच पश्चात कब्जे काश्त की रिपोर्ट के आधार पर तथा राजस्व रेकार्ड में हुए इन्द्राज के परिपेक्ष्य में स्वीकृत किया गया है। उन्होने कथन किया कि अपीलाधीन आराजी पर कदीमी समय से ही रेस्पो0 संख्या 1 का विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनका आगे कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटित वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में आवंटन आदेश को चुनौती नहीं दी जाकर नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है जबकि अपीलान्ट्स को विधिनुसार आवंटन आदेश को चुनौती दी जानी चाहिये थी। नामान्तरकरण कार्यवाही Fiscal Proceeding मात्र है जिससे किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकारों का निर्णय नहीं हो सकता। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिनुकूल एवं पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम श्रीनगर के आराजी खसरा संख्या 871 के नये खसरा संख्या 1416/8493 बने हैं, यह तथ्य प्रमाणित नहीं है एवं मिलान क्षेत्रफल भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 4/96 तहसीलदार नसीराबाद बनाम बहादुर आदेश दिनांक 07.06.1996 में वर्णित खसरा नंबर 674 को अपील में स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु यह भी स्पष्ट है कि आक्षेपीय नामान्तरकरण की कॉलम संख्या 16 में पटवारी हल्का श्रीनगर की रिपोर्ट में विवादग्रस्त भूमि को वर्किंग जमाबन्दी में सिवायचक होना दर्शाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विवादित भूमि सिवायचक होने के उपरान्त भी रेस्पो0 संख्या 2 का नाम किस प्रकार राजस्व अभिलेख

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

में इन्द्राज किया गया। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 16.03.2017 निरस्त करते हुए अपील तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे इन तथ्यों के परिपेक्ष्य में जांच करे कि आक्षेपीय नामान्तरकरण की कॉलम संख्या 16 में पटवारी हल्का श्रीनगर की रिपोर्ट में विवादग्रस्त भूमि को वर्किंग जमाबन्दी में सिवायचक होना दर्शाया गया है किन्तु रेस्पो0 संख्या 2 का नाम किस प्रकार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया। अतः अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 11.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(आनन्दीलाल वैष्णव)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

आदेश में लिपिकीय संशोधन - दिनांक - 6/8/2019

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/7/2019 में रही लिपिकीय त्रुटि के संशोधन हेतु यह अर्जना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन अनुसार आदेश में जो लिपिकीय त्रुटि रही है, उसे परीक्षण उपरान्त निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है, जो उक्त आदेश का भाग समझा जावे:-

आदेश के पेज संख्या तृतीय की पंक्ति सं० 15 में अंकित दिनांक 24/3/2003 के स्थान पर दिनांक "24/4/2003" एवं पेज सं० चतुर्थ की पंक्ति सं० द्वितीय में अंकित दिनांक 16/3/2017 के स्थान पर दिनांक "16/3/2007" संशोधित किया जाता है, जो इसी अनुसार पढा जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(आनन्दीलाल वैष्णव)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner